



भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर मण्डल
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, JABALPUR DIVISION

**** नियम एवं शर्तें ****

- प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध वाहन (TATA ACE) अच्छी स्थिति में हो एवं 02 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
- आपके द्वारा प्रस्तुत दर का L-1 निर्धारण हेतु समस्त दर जैसे एकबारगी साजसज्जा व्यय में से संचालन के कुल दिनों का भाग कर प्रतिदिन आधार पर ,प्रति दिन संचालन व्यय,अतिरिक्त किलो मीटर संचालन व्यय का टोटल कर लिया जावेगा जो Annexure A में स्पष्ट किया गया है। मंडल के द्वारा संचालन की उपयोगिता के अनुसार एक से अधिक बीमारथ वाहन का संचालन हेतु निर्देशित किया जा सकता है , इस परिस्थिति पर एकबारगी साजसज्जा व्यय का भुगतान संचालन दिनों की अवधि के अनुसार प्रत्येक वाहन हेतु अनुपातिक रूप से किया जावेगा।
- बीमा-रथ में मोबाइल माइक,साउंड सिस्टम तथा रात्री के समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
- बीमा-रथ भ्रमण हेतु परिचालन दर (ईंधन सहित) स्थानीय व बाह्य क्षेत्र (Local & Upcountry) हेतु पृथक-पृथक चयनित होगी एवं चयनित फर्म की साज-सज्जा व्यय व दैनिक अतिरिक्त चालन दर भी देय होगी।
- बीमा-रथ साज-सज्जा (Fabrication) हेतु भुगतान (GST अतिरिक्त) मात्र एकबारगी (One Time) देय होगा।
- बीमारथ संचालन प्रत्येक दिन सुबह 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक कार्यालयीन निर्देशानुसार किया जाएगा।
- प्रतिदिन विशेष परिस्थिति में 08 घंटे/80 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भुगतान (GST अतिरिक्त) किया जाएगा।
- प्रतिदिन निर्धारित (08 घंटे/80 कि.मी.) से कम वाहन चलने पर भुगतान से अनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।
- चुंगीकर, पथकर, अन्य स्थानीय कर एवं प्रशासकीय अनुमति की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। इस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- वाहन के विविध प्रमाण पत्र (यथा पंजीयन, फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण) तथा चालक का वैध अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है, साथ ही में एक प्रति संचालन के पूर्व मंडल कार्यालय में जमा करना होगा। यदि प्रशासन आपत्ति करता है अथवा दंडित करता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी वेंडर की होगी।
- चालक की मजदूरी, रहने-खाने की व्यवस्था एवं अन्य विविध व्यय की जिम्मेदारी वेंडर की होगी।
- कार्यदिश प्राप्ति से 04 दिवस के भीतर कार्य आरंभ करना अनिवार्य है।
- स्वीकृत दरें संचालन अवधि तक वैध होंगी। प्रचार-प्रसार कार्य एक या एक से अधिक चरणों में कराया जा सकता है।
- यदि कार्य सम्पादन के दौरान यह पाया जाता है की कार्य स्वीकृत समझौते में वर्णित शर्तों के अनुरूप नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है तथा सुरक्षा निधि जप्त कर फर्म को काली सूची में डाला जा सकता है।
- प्रतिदिन आरंभिक व अंतिम मीटर रीडिंग (यात्रा पथ विवरण सहित) समय के साथ कार्यपंजी (Log Book) पर स्पष्ट अंकित हो जिसे स्थानीय शाखा के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित रबर स्टाम्प के साथ कराया जाना होगा। शाखा प्रबंधक से सत्यापित एवं रबर स्टाम्प के साथ कार्य पंजी भुगतान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में भुगतान हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
- आवंटित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- बीमा-रथ साज-सज्जा (Fabrication) हेतु रचनाएँ (Creative's) मण्डल कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- बीमा-रथ साज-सज्जा (Fabrication) हेतु प्रदत्त रचनाएँ (Creative's) मौलिक रूप में ही बनाई जाएँ।
- निविदा आमंत्रित एवं निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक के पास सुरक्षित है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम इस संविदा कि शर्तों में आंशिक अथवा पूर्णतः परिवर्तन का अधिकार रखता है।
- कोई भी विवाद केवल जबलपुर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

बीमा-रथ निविदा के संदर्भ में मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने इस निविदांतर्गत सभी नियम व शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिए हैं तथा मुझे उपरोक्त सभी नियम व शर्तें स्वीकार हैं। स्वीकृत समझौते के अनुसार ही कार्य निष्पादन किया जाएगा। आदेश अथवा गुणवत्ता से विचलन की स्थिति में समझौता निरस्त व व्यर्थ हो जाएगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर एवं मुद्रा